

**BOARD OF PRATICAL TRAINING (ER)**

**Deptt. of Higher Education, Ministry of Education, Govt. of India**

**BLOCK- EA, SECTOR- 1, SALT LAKE CITY,**

**KOLKATA – 700 064, WEST BENGAL, INDIA**

व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (ईआर), कोलकाता, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार The Apprentices Act 1961 यथासंशोधित 1973 एवं 2014 के अधीन 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए बिहार सरकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों एवं निगमों में **Civil Engineering & Electrical Engineering** स्ट्रीम हेतु Graduate and Diploma in Engineering & Technology के उत्तीर्ण छात्रों को अप्रेंटिस के रूप में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है।

Eligibility: Freshly passed out Graduate and Diploma in Engineering & Technology (2019 से 2023 बैच के छात्रों के लिए)

Stipend: प्रशिक्षु अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान समय-समय पर संशोधित शिक्षु अधिनियम, 1961 तथा शिक्षुता नियम 1992 के अनुसार मासिक वजीफा, जिसकी न्यूनतम राशि रुपये 9000/- प्रतिमाह है, के लिए पात्र होंगे।

Reservation: As per Rule Applicable to the concerned State Govt. Departments/Corporations.

Selection: प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षुओं की नियुक्ति संबंधित शाखा/विषय में पात्र उम्मीदवारों द्वारा अंतिम वर्ष में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत (%) के आधार पर होगी।

पोर्टल में आवेदन करने की अंतिम तिथि: **31.12.2023**

Registration Link – [www.bopter.org/bihar](http://www.bopter.org/bihar)

Website – [www.bopter.gov.in](http://www.bopter.gov.in)

For more information, pls call on - +91 - 6291827930